न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 77/2020 (2020/00366) दर्ज दिनांक 05.08.2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. चन्द्रशेखर पिता बद्रीलाल माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. पीयूष आत्मज आत्माराम सर्राफ निवासी सी0 30 शास्त्रीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. बलवीर आत्मज रोशनलाल महाजन निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. लक्ष्मण वल्द सालगराम बैरवा निवासी रामाखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. मारवोलियर्स मीनरल्स फर्स्ट फ्लोर एलबीएस मार्ट भीलवाड़ा जरिये प्रो0 राजकमल अजमेरा
5. दलजीतसिंह वल्द सुलेहसिंह राजपुत
6. नरपतसिंह वल्द सुलेहसिंह राजपुत
7. विजयसिंह आत्मज सुलेहसिंह राजपुत
8. सम्पतसिंह वल्द सुलेहसिंह राजपुत
   सर्व निवासी साकरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री सत्यनारयण जोशी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–20.11.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम रामाखेड़ा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 181 रकबा 1.11 हे0, 182 रकबा 1.40 हे0, 183 रकबा 0.11 हे0, 184 रकबा 1.08 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 3.70 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 226 पर दर्ज होकर [illegible] प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 20[illegible] संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:09:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible]क्षीगण को विधिवत [illegible]त्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपरिथत अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 77/2020 (2020/00366)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रामाखेड़ा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आवादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 181 रकबा 1.11 हे0, 182 रकबा 1.40 हे0, 183 रकबा 0.11 हे0, 184 रकबा 1.08 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 3.70 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 226 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1100/– (एक हजार एक सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1100/– (एक हजार एक सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:09:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner